न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / राजस्व / 14 / 2021

अजमत पुत्र हुकमसिंह जाति कुशवाहा निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि0 03.02.2021 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर उनवानी राज0 सरकार बनाम अजमत प्रकरण सं. 04 / 2020 अर्न्तगत धारा 91 एलआर एक्ट

उपस्थित :–
1–श्री ललता प्रसाद एड0, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2–राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 28.10.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर के निर्णय दि0 03.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने अतिक्रमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 774 / 0.68 गै0मु0मरघट में से 150 वर्गमीटर पर कच्चा मकान व पशुवाडा से बेदखल किये जाने एवं शास्ती आरोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्व नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा बिना पैगाइश किये

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

ही अपीलांट को 150 वर्गमीटर पर कच्चा मकान व पशुवाडा बनाने की रिपोर्ट की है, जबकि गै0मु0 मरघट मौके पर बदस्तूर राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजूद है। इस तथ्य की ओर तहत न्यायालय ने कोई गौर न देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट का मकान व पशुवाडा करीब 40 वर्ष पूर्व का कब्जा है, जिसका उपयोग अपीलान्ट के पिता करते थे और बाद में अपीलान्ट करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को पूर्वजों ने नानगा पुत्र रघुवीर से खरीद की थी। अपीलान्ट को पूर्व में भी नोटिस दिया गया था जिसके आधार पर अतिक्रमण वाली जगह को तुडवा दिया परन्तु पुनः नोटिस देकर यह अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि पूर्व में अपीलान्ट ने उक्त अतिक्रमण वाली जगह को छोड दिया गया था। अपीलान्ट के पास रहने के लिए इसके अलावा कोई जगह नही है। इसलिए निर्णय काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 के निर्णय नकल लेने का प्रार्थना पत्र दि0 23.02.2021 को लगाया गया था जिसकी नकल दिनांक 01.03.2021 को प्राप्त हुई है। नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर म्याद है। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन मरघट पर कच्चा मकान व पशुवाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की गई है जो कि नियमान्तर्गत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित व सही है। अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। इससे सिद्व होता है कि अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी रहा है। विवादित रकबा गैर मुमकिन मरघट है। जिस पर अपीलान्ट का पूर्व से ही अवैध रूप से अतिक्रमी होना अपने जबाब में भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अतिक्रमी होने के कारण किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर